Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, रावताडा के प्रधानाध्यापक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को 30 हजार रुपये नकद एवं 70 हजार रुपये के चैक द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **सवाईमाधोपुर में पटवारी को 2 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा राज्य में दो स्थानों पर कार्यवाही करते हुये आज बुधवार को करौली में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, रावताडा के प्रधानाध्यापक राजेश मीना एवं पुस्तकालय अध्यक्ष धर्मसिंह मीना को 30 हजार रुपये नकद एवं 70 हजार रुपये के चैक द्वारा रिश्वत लेते तथा सवाईमाधोपुर में पटवारी तेजाराम को 2 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की मुख्यालय स्थित एस.आई.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विद्यालय के नवनिर्मित भवन के पूर्ण होने पर कार्य अनुशंषा टिप्पणी देने की एवज में **स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, रावताडा के प्रधानाध्यापक राजेश मीना एवं पुस्तकालय अध्यक्ष धर्मसिंह मीना** द्वारा 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की एस.आई.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा करौली में ट्रेप कार्यवाही करते हुये स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, रावताडा, त. नादौती करौली के **प्रधानाध्यापक राजेश मीना** पुत्र श्री घनश्याम निवासी मोहनपुरा, टोडाभीम, थाना बालघाट, जिला करौली एवं **पुस्तकालय अध्यक्ष धर्मसिंह मीना** पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी भागचन्द का पुरा, कटकड, हिण्डौन सिटी, करौली को परिवादी से 30 हजार रुपये नकद एवं 70 हजार रुपये के चैक के माध्यम से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार श्री सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कृषि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में पटवार हल्का ग्राम सुनारी के पटवारी तेजराम द्वारा 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये पटवारी तेजराम पुत्र श्री प्रहलाद निवासी मीणा कालोनी, मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर हाल पटवारी हल्का सुनारी, त. सवाईमाधोपुर को 2 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।